

## order Sheet [Contd]

प्र०क० 139/2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.12.2017	<p>परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री गोहद ग्रामीण सहित उनके अधिवक्ता श्री विकास कांकर उप०।</p> <p>अभियुक्त/गण धर्मेन्द्र बघैल अनुपस्थित।</p> <p>प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।</p> <p>यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त/गण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल/मेगा लोकअदालत के मान से व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है। उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है। परिवादी ने स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना प्रकट किया। अभियुक्त/गण उक्त राजीनामे से सहमत हैं।</p> <p>चूंकि परिवादी की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विद्युत उर्जा की राशि नेशनल/मेगा लोक अदालत के मान से तथा शमन शुल्क जमा हो चुकी है। अतः उक्त आधार पर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना प्रकट होता है। राजीनामा लोक नीति के विरुद्ध न होने से धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किया गया। राजीनामे के आधार पर अभियुक्त/गण दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।</p> <p>प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०-20 एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड</p>	